भाग III

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 जुलाई, 2011

संख्या का०आ० 64/ह०अ० 6/2003/धा० 59/2011.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 4/ह०अ० 6/2003/ धा० 59/2011, दिनांक 8 जुलाई, 2011 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची ख तथा ग में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6) में,—

(i) अनुसूची ख में, खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 33 के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

1	2
"33क	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचा जाने वाला मिट्टी का तेल";

(ii) अनुसूची ग में, क्रम संख्या 46 और उसके सामने प्रविष्टि का लोप कर दिया जाएगा।

रमेन्द्र जाखू,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।